न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **376 /2022**

उनवान

हिम्मतसिंह पुत्र बहादुरसिंह चारण निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1–4 नन्दराम, लक्ष्मण, सावंरियालाल, छोटूलाल पुत्र राम सुख गुर्जर निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा
5– सोहन लाल पुत्र हजारी लाल खारोल(दतवाल) निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा
6– लादू पुत्र नन्दा खारोल निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा
7– भीमसिंह पुत्र बहादुरसिंह चारण निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा
8– दिनेशसिंह पुत्र बृजराजसिंह चारण निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा
9– नारायण सिंह पुत्र कल्याणसिंह चारण निवासी गिरिड़या तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री गोविन्द सिंह हाड़ा**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **18.10.2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 104 रकबा 0.71 है0, 107 रकबा 0.95 है0, 108 रकबा 0.05 है0, 126 रकबा 1.02 है0, 127 रकबा 0.81 है0, 132 रकबा 1.55 है0, 87 रकबा 1.20 है0, 88 रकबा 0.82 है0, 89 रकबा 0.25 है0** कुल **किता 9** रकबा **7.36** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 **1 लगायत 6, 8** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 7, 9** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थी** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के **खातेदारी** में दर्ज होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **गिरड़िया** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 108 रकबा 0.05 है0 किस्म गेमु रास्ता होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 8 रकबा 7.31 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 2000/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **18.10.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा